Govt. of Rajasthan

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SIROHI

No :EDS/Ar.Sheoganj/2023-24/ 216 - 225

Date 18|04|202:

To.

M/s Baba Contractor and Engineers,
"AA" Class PWD Contractor,
Near Ambika Timber, Islamiya School,
Aburoad Dist Sirohi.
Email ID- babacontractors@gmail.com
Mo. 9829438384, 9829438385

Sub : Construction of BT road Manadar to Rowara via Rowara Ghata Km 5/500 to 11/500

Yours tender dated **13.04.2023** the work mentioned above has been accepted by The Addl. Chief Engineer, PWD Zone- Ist Jodhpur vide letter No. F.5 (Sh)Sec.II/ACE/Ju/2023-24/129-131 dated 18.04.2023 on behalf of the Governor of Rajasthan at @ **10.98% Below** the schedule 'G' amounting to **Rs. 3,47,46,608/- (Rs. Three Crore Forty Seven Lakhs Forty Six Thousands Six Hundred Eight Only)**

You are requested to attend this office to complete the formal agreement within 7 days of receipt of this letter please submit the non judicial stamp for as per ruls.

You are directed to Contact the Assistant Engineer **P.W.D.** Sub Div. **Sheoganj** and start the work at once and complete the same within a period of **06 Months** The date of starting and completion of the work shall be recknowed as follows :-

Stipulated date of commencement	**28.04.2023**
Stipulated date of completion	**27.10.2023**

This letter of acceptance together with the tender submitted by you embodying all the conditions their in constitutes the contract agreement between you and the Governor of the state of Rajasthan for the aforesaid work.

The number allotted to you agreement is **EDS/02/2023-24** the receipt of the letter may please be acknowledged.

Encl.:-'G' Schedule
Note :-Work restricted up to Sanctioned cost including all charge

Your's faithfully

(Ajit Jain)
Executive Engineer
PWD Div. Sirohi

NO.EDS/Ar. Sheoganj/2023-24/216 - 225 DATED: 18|04|2023

1. The Add. Chief Engineer, PWD Zone Jodhpur-I.
2. The Superintending Engineer PWD Circle Sirohi.
3. The Executive Enginneer Q.C. Div. Sirohi.
4. Assistant Engineer PWD Sub Div. **Sheoganj.**
   The work shall be restricted upto the sanction estimate & Adm. Sanction. No. Extra/Excess shall be allowed without prior approval.
5. Mining Engineer, Sirohi
6. Sales Tax Officer, Sirohi
7. Labour Officer, Sirohi
8. Income Tax Officer, Sirohi
9. Agreement File

Executive Engineer
PWD Div. Sirohi

संयुक्त सचिव पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखे पत्र क्रमांकः-एफ. 7 (125) /एसआरएफ/अनु-II/2022-23/डी- 3182 दिनांक 15/12/22 की प्रतिलिपि

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनके कार्यो हेतु राशि रू0 14173.62 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सहमति एसआरएफ (आरआर) /ग्रामीण सड़क मद में संलग्न सूची अनुसार निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

उक्त व्यय निम्न बजट मद में भारित किया जावेगा :-

SRF-RR works		
Gen	SC	ST
5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य सड़क (16)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (16)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 796- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (16)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)

Rural Road Budget Head		
5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय (03)-अन्य सड़क निर्माण कार्य [01]-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (05)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (07)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य

SRF-SHW		
GN	SC	ST
5054 -सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337- सड़क निर्माण कार्य (07)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें [90] -निर्माण कार्य 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054- सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशि ट संघटक योजना (04)- राज्य सड़क विकास निधि से पो ित सड़कें (एसएच) [90] -निर्माण कार्य 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054 सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (04)-राज्य सड़क विकास निधि से पो ित सड़कें (एसएच) [90] -निर्माण कार्य 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य

SRF-MDR works		
Gen	SC	ST
5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य सड़क (14)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (06)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 796- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (08)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी क्रमांक एफ 172201485 दिनांक 13.12.2022 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(1) उक्त कार्य किसी अन्य योजना/पत्रावली से स्वीकृत नही होना सुनिश्चित किया जावेगा।
(2) निविदा आमंत्रण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रकिया /राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों /निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।
(3) वर्तमान में वित्त विभाग के निर्देशानुसार समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां ऑनलाईन जारी की जानी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के समस्त कार्यो के प्रस्ताव AFS Moudle पर अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही AFS Moudle पर FD PAID जारी होने के उपरान्त GWMS पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें, जिससे की कार्यो की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जा सकें।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 7 (125) एएण्डएफ/अनु-II/2022-23/डी- 3182 दिनांक 15/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग-
2. अधीक्षण अभियन्ता सा०नि०वि० वृत-
3. अधिशाषी अभियन्ता- खण्ड -

मु० अभि० (पथ)/अधीक्षण अभियन्ता (पथ)/अधिशाषी अभियन्ता (जीजीपी-II/उपनिदेशक, सांख्यिकी/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पथ)/वित्तीय सलाहकार/कम्पाईलेशन लिपिक, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सा०नि०वि०, राजस्थान, जयपुर।

तकमीने में कार्य के विरुद्व व्यय करने में माहवार लेखों में शामिल करते समय भविष्य में स्वीकृति से संबंधित सभी संदर्भो में कार्य का जोब नम्बर जैसा कार्य को आवंटित किया गया है व कार्य के विवरण के समक्ष अंकित किया गया है वैसा ही बिना बदलाव के लिखा जावे। उक्त कार्यों की राशि पर प्रोरेटा (प्रतिभार) सहित है। व्यय आवंटित बजट सीमा तक ही किया जावे।

(संजीव माथुर)
मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राज. जयपुर

जिला	कार्य का नाम	श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	बजट मद
सवाईमाधोपुर	ग्राम करेल में मेन रोड से शमशान तक वाया माताजी के मंदिर से होते हुए सीसी सडक निर्माण	VR	0.80	60.00	SRF
सवाईमाधोपुर	मंगल कुओं से टेशन रोड तक सीसी सडक।	VR	0.70	65.00	SRF
सवाईमाधोपुर	ग्राम दोबड़ा कलां में ईदगाह वाले रास्ते पर सीसी सडक निर्माण	VR	1.10	90.00	SRF
सवाईमाधोपुर	मलारणा चौड़ हाईवे से टोंके के बाजाली तक सीसी सडक निर्माण	VR	2.00	95.00	SRF
सवाईमाधोपुर	रहीमुद्दीन के मकान से लेकर जामा मजिस्द की ढ्याई तक सीसी सडक	VR	0.30	25.00	SRF
सवाईमाधोपुर	छोटी मजिस्द से अमरूद सचिव के मकान तक वाया गुड्डू की दुकान तक सीसी सडक निर्माण	VR	0.50	40.00	SRF
सवाईमाधोपुर	सुलेमान मास्टर की दुकान से सराउद्दीन दादा के मकान तक सीसी सडक	VR	0.50	40.00	SRF
सवाईमाधोपुर	शम्भू मीना के मकान से लेकर जीएसएस गोदाम तक सीसी सडक	VR	0.70	55.00	SRF
सिरोही	मनादर से रोवाडा वाया सेवाडा फांटा किमी. 5/500 से 11/500	VR	6.00	493.00	SRF
नागौर	कुकनवाली से डूडीयो की ढाणी होते हुए जोगेश्वर धाम मुआना तक सडक निर्माण	VR	8.00	244.54	SRF
बाडमेर	खारड़ा भारतसिंह से माचर्रा की ढाणी तक	VR	4.80	72.00	SRF
बाडमेर	केसुम्बला भाटियान से रतेऊ तक	ODR	9.00	135.00	SRF
बाडमेर	खोखसर से वागथल सड़क किमी. 0/0 से 7/500	VR	7.50	112.50	SRF
बाडमेर	कानोड़ से शहर किमी. 0/0 से 11/050	VR	11.05	165.75	SRF
बाडमेर	सवाऊ पदमसिंह से फलसुण्ड फांटा तक	VR	2.00	30.00	SRF
बाडमेर	मेगाहाईवे से साथुनी पुरोहितान होते हुए खनोड़ा तक	VR	10.00	140.00	SRF
बाडमेर	आहोणी वेनीवाल की ढाणी से नया सोमेसरा तक	VR	9.10	136.50	SRF
	नोसर संवनियाला सिंहड़ों की ढाणी किमी. 10/0 से 13/0	VR	3.00	60.00	SRF
बाडमेर		VR	2.90	43.50	SRF
बाडमेर	खतियों का तला से वागासर	VR	3.20	48.00	SRF
बाडमेर	केरली फांटा से भोजासर तक	VR	10.65	159.75	SRF
बाडमेर	लीलाला फांटा से गोराला तक	VR	37.35	2360.00	SRF
बून्दी	18 राजस्व ग्रामों को डामरीकरण सडकों से जोडने हेतु	VR	2.00	128.44	SRF
चूरू	एनएच-11 से रेल्वे पुलिया नम्बर 4 वाया चौधरी शमशान, रतनगढ मिसिंग लिंक सडक निर्माण	VR	1.00	45.50	SRF
चित्तौडगढ	सडक निर्माण कार्य लिरडी से भीलवाडा बोर्डर तक किमी.	VR	1.50	60.00	SRF

...अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड सिरोही

क्रमांक : अ.अ -23/6363 दिनांक 25/01/2023

श्रीमान उपवन संरक्षक
सिरोही

विषयः— Const. of Road from Manadar ro Rowara Km. 5/500 to 11/500 का राशि मांग पत्र जमा कराने बाबत् ।

प्रंसगः— आपके कार्यालय पत्र क्रमांक एफ ( ) उव सं /F.C.A. 2022-23/524 दिनांक 20.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिंक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है की इस कार्यालय द्वारा जरीये चालान 4623120/(अक्षरे छियालीस लाख तेईस हजार एक सौ बीस रू. मात्र) की मांग पत्र राशि Campa को जमा करवा दी जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है।

अतः विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावे ।

संलग्न :— चालान की प्रति

भवदीय

(अजीत जैन)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड सिरोही

25/01/23

प्राप्तक :—
कार्यालय उप वन संरक्षक
सिरोही (राजस्थान) 307001

राजस्थान –सरकार

कार्यालय तहसीलदार, शिवगंज जिला– सिरोही

Email – tdr.sheoganj@rajasthan.gov.in Ph No. 02976.270649

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 647

निमित्तः–श्रीमान् जिला कलक्टर महोदयजी सिरोही

दिनांकः 13.03.2023

विषयः–वन प्रत्यावर्तन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रकरण FP/RJ /ROAD /18545/2016 में आदेशानुसार दी गई वनभूमि से अंग्रेजी बबूल को जड से हटवाने बाबत्

प्रसंगः–श्रीमान उप वन संरक्षक सिरोही के पत्र कमांक / एफ()एफसीए / उवसं / 2023 / 603 दिनांक 20.2.23 एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी सिरोही के पत्र कमांक / 2022–23 / 230 दिनांक 2.3.2023

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है वन प्रत्यावर्तन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Diversion of 4.00 ha. forest land in favour of public work department Rajasthan jaipur construction of road from manadar to rowara km 5/500 to 9/500 district sirohi in state of rajasthan के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज द्वारा मनादर से रोवाडा सडक हेतु वन विभाग की कुल 4 हैक्टयर भूमि सडक निर्माण हेतु ली जानी प्रस्तावित है। जिसकी ऐवज में मनादर ।। के खसरा न. 2931 / 1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खा.ख. में से 25 बीघा भूमि वन विभाग को देने हेतु श्रीमानजी द्वारा आदेश किया गया था। वन विभाग को दि गई भूमि का ना.क. वन विभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वर्तमान में मनादर।। के खसरा न. 2931 / 2 रकबा 4.0469 हैक्टयर किस्म खा.ख. वन विभाग हेतु आरक्षित है। उक्त भूमि में पूर्व में बबूल की झाडिया मौके पर खडी थी जो वर्तमान में बबूल की झाडिया मौके पर नही है। वर्तमान में भूमि खाली पडी है। ग्रामीणो व सरपंच महोदय से पूछने पर बताया की पूर्व में खडी झाडिया शीत ऋतु में ग्रामीणो द्वारा आग जलाने के लिए काट दी गई थी। वर्तमान में भूमि खाली पडी है वन विभाग को **कब्जा सुपुर्दगी कर सकते है।**

भवदीया

(नीरज कुमारी)

तहसीलदार, शिवगंज

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 648–54

दिनांकः 13.03.2023

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय सिरोही
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शिवगंज
3. क्षैत्रीय वन अधिकारी सिरोही
4. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज
5. उपकोपाधिकारी उपकोप शिवगंज
6. भू.अ.निरीक्षक कैलाशनगर
7. पटवारी मनादर।।

तहसीलदार, शिवगंज

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प 12(3)(1)राज/2021/ दिनांक : :02.2021

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/12 दिनांक 05.01.2021 व पत्रांक/91 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज द्वारा मनादर-रोवाडा सडक कि.मी. 5/500 से 9/500 सडक हेतु वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाडा के खसरा नम्बर 346 में से 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 349 में से 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर-II के खसरा नम्बर 2594/1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता-3 रकबा 25.00 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जानी है। वन विभाग की उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लेने हेतु उक्त भूमि के बदले में ग्राम मनादर-II के खसरा नम्बर 2931/1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खालखददर में से 25.00 बीघा अर्थात् 4.00 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को देने हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रकरण में उप वन संरक्षक, सिरोही ने अपने पत्रांक/670 दिनांक 05.02.2021 से वन विभाग को देने हेतु उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा प्रस्तावित की गई भूमि पर प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) का घनत्व अधिक होने से उक्त क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण NFL 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर किया जाना संभव नहीं होने से उक्त प्रस्तावित भूमि से प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) की झाडियों को जड से हटवाकर यह भूमि वन विभाग को दी जाती है, तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अतः प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/रिपोर्ट एवं वन विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज द्वारा मनादर-रोवाडा सडक कि.मी. 5/500 से 9/500 सडक हेतु वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाडा के खसरा नम्बर 346 में से 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 349 में से 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर-II के खसरा नम्बर 2594/1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता-3 रकबा 25.00 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में लेने हेतु उक्त भूमि के बदले में ग्राम मनादर-II के खसरा नम्बर 2931/1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खालखददर में से 25.00 बीघा अर्थात् 4.00 हैक्टेयर गैर वन भूमि संलग्न नक्शे अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित (Set apart) की जाती है।

साथ ही सी.ई.ओ. एवं पी.डी., वाटरशैड प्राधिकरण पदेन शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सदस्य सचिव, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जयपुर के पत्रांक/प. 5(23)/ग्रा.वि./बी.एन.ए./ब.भू./2017/967 दिनांक 20.09.2017 में वर्णित निर्देशों की पालना में तहसीलदार, शिवगंज की अध्यक्षता में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिवगंज एवं उपकोषाधिकारी, शिवगंज की कमेटी का गठन कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कमेटी वन विभाग हेतु आरक्षित की गई उक्त भूमि में से अंग्रेजी बबूल को जड से उखाड़कर उनकी नियमानुसार निलामी करवायेगी तथा निलामी से प्राप्त होने वाली आय मुख्य शीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा करवायेगी। उक्त भूमि से केवल अंग्रेजी बबूल ही हटायें जायेंगे इसमें किसी भी प्रकार से अनाधिकृत कटाई न हो जिसके परिणामस्वरूप भूमि कटाव प्रभावित हो।

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प 12(3)(1)राज/2021/852-59 दिनांक 24.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, सिरोही को मय नक्शा ट्रेस प्रेषित है।
2. उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही।
4. तहसीलदार, शिवगंज को मय नक्शा ट्रेस भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आरक्षित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर जमाबंदी की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये तथा आरक्षित भूमि से अंग्रेजी बबूल हटाने के संबंध में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। (अति. प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को बाद निलामी मांग कायमी हेतु प्रेषित है)।
5. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिवगंज।
6. उप कोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय, शिवगंज।

(Shubham Jain)
Deputy Conservator of Fore
Sirohi

file:///C:/Users/INC/Downloads/CamScanner 02-27-2023 12.52.pdf

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) मुवसं /FCA/Sirohi/PWD 4 Ha / 2022 / दिनांक :

वृक्षों के पातन एवं कार्यानुमति जारी करने की स्वीकृति

वनमण्डल सिरोही जिला सिरोही अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण विषयक Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of Public Works Department Rajasthan for Construction of Road from Manadar to Rowara Km 5/500 to 9/500, Tehsil - Sheoganj, District Sirohi, Rajasthan (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/18545/2016) में भारत सरकार के पत्रांक 8बी–राज / 046 / 2022–जेपीआर दिनांक 26–7–2022 के द्वारा 4.00 हेक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 1218 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गई है।

उप वन संरक्षक, सिरोही ने अपने पत्रांक 391 दिनांक 1–2–2023 के संलग्न प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र क्रमाक 6513 दिनांक 1–2–2023 प्रेषित किया है। जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करने के क्रम में विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति चाही है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट जरिये उप वन संरक्षक, सिरोही के पत्रांक 356 दिनांक 30–1–23 के द्वारा प्रेषित की है। जिसे इस कार्यालय द्वारा उच्च कार्यालय को अग्रेषित किया जा चुका है।

अतः राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ1(5)वन / 2019 जयपुर दिनांक 7–1–2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पत्राक 11–306 / 2014–एफसी दिनांक 7–5–2015, 28–8–2015 के अनुसरण में रेखीय प्रस्ताव होने के कारण उक्त अनुदेशों में वर्णित शर्तों के अधीन एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पालना किये जाने के अनुसरण में 1218 वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारंभ करने की अनुमति एतदद्वारा निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है :–

1. यह स्वीकृति, जारी किये जाने की तिथि के 1 वर्ष के लिये मान्य होगी एवं 1 वर्ष की अवधि के भीतर कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय अभिवृद्धि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर यह स्वीकृति बिना सूचना के प्रत्याहरित की जा सकेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. उप वन संरक्षक सिरोही समय–समय पर प्रत्यावर्तित वनभूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करवाये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करेगें।

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) मुवसं /FCA/Sirohi/PWD 4 Ha / 2022 / 1098–1102 दिनांक : 20/2/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, जयपुर।
2. शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, सिरोही
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सिरोही
6. रक्षी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by S R Venkateswara Murthy
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.02.20 1:44:26 IST
Reason: Approved

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

RajKaj Ref No. : 3200567

le:///C:/Users/INC/Downloads/Working Permission In M...

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

(कार्यालय पता – सम्पतिनाथ परिसर सिरोही, दूरभाष – 02972-221307, 226327, Email: dm-sir-rj@nic.in)

क्रमांक / प.12(3)(1)राजस्व / 2021 / 5137–38 दिनांक 19.12.2023

लिमित–

संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय– मनादर–रोवाड़ा सड़क कि.मी. 5 / 500 से 9 / 500 तहसील शिवगंज जिला सिरोही के फोरेस्ट क्लीयरेंस हेतु विलायाम भूमि वन विभाग को आवंटन बाबत्।

प्रसंग– इस कार्यालय का पत्रांक / प.12(3)(1)राजस्व / 2021 / 4233 दिनांक 12.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही द्वारा मनादर–रोवाड़ा सड़क कि.मी. 5 / 500 से 9 / 500 तहसील शिवगंज के फोरेस्ट क्लीयरेंस हेतु निवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज से प्राप्त प्रस्ताव एवं उप वन संरक्षक, सिरोही की सहमति अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / प.12(3)(1)राज / 2021 / 852–59 दिनांक 24.02.2021 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाड़ा के खसरा नम्बर 346, 349 में से क्रमशः 1.00, 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2594 / 1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता–3 रकबा 25.00 बीघा भूमि के बदले में ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2931 / 1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खालसखद्दर में से 25.00 बीघा अर्थात् 4.00 हैक्टेयर गैर वन भूमि संलग्न नक्शे अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित (Set apart) की गई।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही के पत्रांक / 7011–15 दिनांक 28.02.2023 से प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 "क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम अमल दरामद एवं उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत रक्षित / आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जावेगी" की पूर्ण अनुपालना बकाया होना अवगत कराया है। उप वन संरक्षक, सिरोही के पत्रांक / 603 दिनांक 20.02.23 अनुसार प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक / 8बी–राज046 / 2022–JPR दिनांक 26.07.22 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अंतिम स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसमें से एक शर्त उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद करवाकर राज्य सरकार के स्तर से नोटिफिकेशन कराया जाना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / प.12(3)(1)राज / 2021 / 852–59 दिनांक 24.02.2021 से मनादर–रोवाड़ा सड़क कि.मी. 5 / 500 से 9 / 500 सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाड़ा के खसरा नम्बर 346, 349 में से क्रमशः 1.00 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2594 / 1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता–3 रकबा 25.0 बीघा भूमि के बदले में ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2931 / 1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस खालसखद्दर में से आरक्षित की गई 25.00 बीघा गैर वन भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 व धारा 102 के तहत वन विभाग को हस्तान्तरित / आवंटित करने के संबंध में प्रासंगिक पत्र के द्वारा वांछि स्वीकृति प्रदान करावें।

भवदीय

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर सि

क्रमांक / प.12(3)(1)राजस्व / 2021 / 5137–38 दिनांक 19.12.20

प्रतिलिपि–

अधिशाषी अभियंता ... पत्रांक / 9711–13 दि

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प.12(3)(1)राजस्व/2021-01420/1237-1245 दिनांक 31.07.2024

:: आदेश ::

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक/प.6(341)राज-3/2023-09727 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा मनादर-सेवाड़ा सड़क कि.मी. 5/500 से 9/500 सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वन विभाग की भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/प.12(3)(1)राज/2021/852-59 दिनांक 24.02.2021 से तहसील शिवगंज स्थित ग्राम मनादर के खसरा नम्बर 2931/1 कुल रकबा 139-12 बीघा किस्म खालसदर में से रकबा 25-00 बीघा (नया खसरा नम्बर 2931/2) को वन हेतु आरक्षित भूमि को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटित किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः प्रकरण में इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/प.12(3)(1)राज/2021/852-59 दिनांक 24.02.2021 से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित की गई तहसील शिवगंज स्थित ग्राम मनादर के खसरा नम्बर 2931/1 कुल रकबा 139-12 बीघा किस्म खालसदर में से रकबा 25-00 बीघा (नया खसरा नम्बर 2931/2) भूमि को शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक/प.6(341)राज-3/2023-09727 दिनांक 30.7.2024 से प्राप्त स्वीकृति के पालन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटित की जाती है।

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प.12(3)(1)राजस्व/2021-01420/1237-1245 दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्रांक/प.6(341) राज-3/2023-09727 दिनांक 30.07.2024 के क्रम में प्रेषित है।
2. संभागीय आयुक्त, पाली।
3. उप वन संरक्षक, सिरोही।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
5. उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही।

तहसीलदार, शिवगंज को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आवंटित की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर जमाबंदी की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावे।

गार्ड फाईल।

shefa

जिला कलक्टर, सिरोही